.यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्रीमती अनीता कुमारी खटीक R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या:–141/2014 निर्णय दिनांक :–20.02.2020

उनवानी दावा :

कालूराम पुत्र स्व. श्री गोपाल जाति धाकड निवासी रघुनाथपुरा (हिसामपुर) तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक (राज.)
2. तहसीलदार तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–
श्री आर.एस.काबरा
अधिवक्ता वादीगण

पेरोकार सरकार

वाद इस्तकारहक, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरणके तथ्य इस प्रकार है कि वादी के पिता गोपाल पुत्र मांगीलाल धाकड निवासी रघुनाथपुरा (हिसामपुर) तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान के कदीमी स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि साबिक ख0नं0 78 मि. (78/1/2) जिसके हाल ख0नं0 223 रकबा 0.18 है0, व ख0नं0 222, 25 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी के पिता गोपाल पुत्र मांगीलाल धाकड निवासी रघुनाथपुरा को दिनांक 15.07.1969 को विधिवत् आवंटन की जाकर कब्जा सुपुर्द कर वादी के पिता की गैरखातेदारी में अंकित करने के समय से वादी के पिता के कब्जे–काश्त की भूमि है। उक्त भूमि के खातेदार काबिज कृषक गोपाल पुत्र मांगीलाल धाकड का दिनांक 07.05.2014 को देहान्त हो जाने वादी स्व. गोपाल धाकड का एकमात्र वारिस उत्तराधिकारी होने के कारण उक्त भूमि वादी के कब्जे–काश्त की भूमि है। देवली तहसील में हुए सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट कर्मचारीगण द्वारा अनेक अनियमितताएं व त्रुटियां की गई। हाल ख0नं0 223 रकबा 0.18 है0 भूमि वादी के पिता की खातेदारी में अंकित कर दी गई। किन्तु उक्त भूमि के हाल ख0 नं0 222 रकबा 0.20 है0 का सिवायचक का अनाधिकृत अंकन कर राजकीय भूमि का गलत इन्द्राज कर दिया। हाल ख0 नं0 25 जो कि वादी के पिता की कृषि भूमि का भूखण्ड है, का गलत मिलान क्षैत्रफल बनाकर राजकीय भूमि का गलत इन्द्राज कर दिया। सेटलमेंट द्वारा उक्त भूमि का राजकीय भूमि का इन्द्राजात अनाधिकृत व अवैध है और वादी के हितों पर निम्नप्रभावी है। वाद पत्र में वर्णित भूमि निर्विघ्न निरन्तर वादी के पिता एवं वादी की खातेदारी व कब्जे–काश्त की भूमि है। वादी के पिता व वादी द्वारा उक्त भूमि हाल ख0नं0 222 व 25 का राजकीय भूमि का खातेदारी अंकन निरस्त किया जाकर वादी की खातेदारी में अंकित किये जाने के अनेक मौखिक व लिखित निवेदनों एवं राज्य सरकार को धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस जरिये रजि. ए.डी. प्रेषित करने के बावजूद भी हाल ख0नं0 222 का राजकीय भूमि का अंकन निरस्त नहीं कर वादी के पिता

की खातेदारी में अंकित नहीं की गई है। इस कारण उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड से उक्त भूमि के अंकन को डिलीट किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाने एवं उक्त भूमि को वादी की खातेदारी में दर्ज किया जाकर वादी को उक्त भूमि का मालिक–काश्तकार घोषित किया जाना कानूनन आवश्यक होने के कारण यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। उक्त भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज नही होने के कारण प्रतिवादीगण नं0 2 व अन्य कई व्यक्ति वादी को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। इस कारण प्रतिवादी नं0 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा–हमेशा के लिए पाबंद किया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है कि वह स्वयं जरिए अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों के वादी को उक्त वर्णित भूमि से बेदखल नहीं करे, वादी की भूमि को अन्य किसी को आवंटन नहीं करे, वादी के कब्जे–काश्त व अपायोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा पाबंद रहे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः–नकल जमाबंदी सम्वत् 2031 से 2034 के स्वीकार है। सुपुदर्गी गया व रसीद का रिकार्ड मौजूद नहीं है स्वीकार नहीं है। पेरा नं. 3 रेकार्ड के अभाव में स्वीकार नहीं है। पेरा नं. पी.14 की नकलों के अभाव में स्वीकार नही है। पेरा नं. 5 व 6 अस्वीकार है। राजकीय भूमि में बेदखल व अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही कानूनन स्वीकार है। बन्दोबस्त द्वारा उक्त भूमि को राजकीय भूमि घोषित करने का वास्तविक साक्ष्य आवंटी का कब्जा नही होना साबित करता है। वाद खारिज योग्य है।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। अधिवक्ता वादी ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार हैः–प्रदर्श–1 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 प्रदर्श–2 जमाबन्दी ग्राम रघुनाथपुरा सम्वत 2031–34 प्रदर्श–3 नक्शा ट्रेस प्रदर्श--4 व 5 आंशिक नकल जमाबन्दी सम्वत 2067–70 प्रदर्श–6 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 प्रदर्श–7 नामान्तकरण ग्राम रघुनाथपुरा प्रदर्श–8 जमाबन्दी सम्वत 2035–38 प्रदर्श–9 तरमीम मोमिया सीट बन्दोबस्त भू–सुधार प्रदर्श–10 नक्शा ट्रेस सम्वत 1930–31 प्रदर्श–11 जमाबन्दी सम्वत 2063–66 ग्राम रघुनाथपुरा प्रदर्श–12 से 14 धारा 91 के नोटिस पेश किये है। वादी ने अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गई।

पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई।

पेरोकार सरकार द्वारा कोई साक्ष्य नहीं कराये जाने से प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

बहस वादी ने वाद इस बाबत पेश किया है कि उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी के पिता गोपाल पुत्र मांगीलाल धाकड निवासी रघुनाथपुरा को दिनांक 15.07.1969 को विधिवत् आवंटन की जाकर कब्जा सुपुर्द कर वादी के पिता की गैरखातेदारी में अंकित किया गया था । वादी के पिता की मृत्यु के बाद से ह वादी का कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है। वादी के पिता को साबिक ख. नं. 78 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा का आवंटन हुआ था जिसके हाल ख. नं. 222, 223 व 225 बने है जिनमें से खसरा नम्बर 223 की खातेदारी वादी के नाम लगा दी गई और सेटलमेन्ट ने ख. नंत्र 222 व 225 के सिवायचक घोषित कर दिया जिसका सटलमेंन्ट को कोई व हक व अधिकार नहीं था जबकि वादी का कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है।

तनकीवार निर्णय :–

1. **आया वादी विधावित आराजी ख0नं0 222, 25 रकबा 0.51 है ग्राम रघुनाथपुरा प0ह0 हिसामपुर तह0 देवली, आराजी की खातेदारी अपने नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड के हकदार है?**

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादी पर था। इसके लिउ वादी ने –वादी– प्रदर्श–2 जमाबन्दी ग्राम रघुनाथपुरा सम्वत 2031–34 जिसके कॉलम 5 में वादी के पिता गोपाल पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़ के नाम ख. नं. 78/1/2 में 2 बीघा 10 बिसवा की गैर खातेदारी दर्ज है। प्रदर्श–8 जमाबनदी सम्वत 2035–38 में ख. नं. 78/1/2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा दर्ज है। प्रदर्श–2 मिलान क्षैत्रफल में 78 मीन से ख. नं 222 रकबा 0.20 है0 ख. नं. 223 रकबा 0.18 है0 व ख. नं. 225 रकबा 0.18 है0 बनना दर्शित है। प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत 2067–70 में ख. नं. 222 रकबा 0.20 है0 व प्रदर्श–5 मे ख. नं. 25 रकबा 0.35 है0 दर्शित है। वादी नें सम्वत 2065 से 2068 के धारा 91 के नाटिस प्रदर्श 12 से 14 के रूप में पेश किये है। प्रदर्श–6 मिलान क्षैत्रफल 2046–65 में खसरा नं. 25 रकबा 0.35 है0 1 मिन से बना है। वादी के वाद अनुसार वादी को वाद वर्णित भूमि दिनांक 15.07.69 को विधिवत आवंटन की जाकर कब्जा सुपुर्द कर वादी के पिता के नाम गैरखातदारी दर्ज की गई थी इसके सम्बन्ध मे वाद ने आवंटन पत्रावली , सुपुर्दगीनामा पेश नहीं किया है। वादी के पिता को वाद वर्णित भूमि आवंटित हुई है तो आवंटन की शर्तो के अनुसार आवंटित भूमि का 50 प्रतिशत भूमि पर उसी वर्ष कृषि कार्य व शेष भूमि पर अगले वर्ष कृषि कार्य करना होता है जिसके सम्बन्ध में वादी ने कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं किये है। कुषि करने सम्बन्धी साक्ष्य सम्वत 1969 का पेश किया है जो आवंटन के काफी समय बाद का है। नक्शा शीट प्रदर्श–9 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि ख. नं. 25 ख. नं. 222 व 223 से काफी दूर है, जो कि आवंटन में इतनी दूर नहीं हो सकता है। वादी को ख. नं. 78/1/2 रकबा 2 बीघा 10 बिसवा की गैर खातेदारी मिली है जबकि मिलान क्षैत्रफल से ख. नं. 222, 223, व 225 78 मिन से बने है, जो साबित नहीं है। अतः वादी द्वारा आवंटन सम्बन्धी दस्तावेजात, लगातार कब्जेकाश्त सम्बन्धी राजस्व रिकॉर्ड व मिलान क्षैत्रफल द्वारा आवंटित खसरा नम्बर व हाल खसरा नम्बर को साबित नहीं करने के अभाव में यह तनकी विरूद्ध वादी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

1. **आया वादी वर्णित आराजी पर कदीमी कब्जा काश्त चले आ रहे है ?** –वादी–

तनकी नं. 2 को साबित करने का भार वादी पर था इसके लिए वादी ने वादी नें सम्वत 2065 से 2068 के धारा 91 के नाटिस प्रदर्श 12 से 14 के रूप में पेश किये है जिनसे वादी यह साबित करने में असफल रहा है कि वादी की वाद वर्णित भूमि पर कदीमी कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. **आया वादी प्रति. को वर्णित विवादित से बेदखल न करने व किसी प्रकार मजामहत न करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के हकदार है ?** –वादी–

तनकी नं. 1 व 2 के विवेचनानुसार वादी यह साबित करने में असफल रहा है कि वाद वर्णित भूमि वादी/वादी के पिता को आवंटित व लगातार कब्जेकाश्त की भूमि है। **अतः इस** तनकी का निर्णय भी विरूद्ध वादी प्रतिवादी के पक्ष में किया जाता है।

2. आया प्रतिवादी पेराकार सरकार, प्रस्तुत दावा न्यायोचित नही है। –पैरोकार सरकार –

पेरोकार सरकार के अनुसार वाद वर्णित भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक भूमि है ओर बन्दोबस्त द्वारा भी वादी/वादी के पिता का का कब्जा नहीं होने के कारण इस भूमि को राजकीय सिवायचक भूमि के रूप में राजस्व रिकॉर्ड किया है। वादी द्वारा आवंटन, कब्जाकाश्त साबित नहीं करने के कारण यह तनकी विरूद्ध वादी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात साबिक ख. नं. 78/1/2 रकबा 2 बीघा 10 बिसवा भूमि वादी के पिता को आवंटित हुई थी और हाल ख. नं. 222, 25 रकबा 0.51 है ग्राम रघुनाथपुरा पर वादी का लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है, यह साबित करने में असफल रहा है । अतः मिलान क्षैत्रफल में साबिक ख. नं. से हाल ख. न. का मिलान नहीं होने व लगातार कब्जाकाश्त के अभाव में वादी का वाद खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली